भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3516

जिसका उत्तर सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

किसानों और कॉर्पोरेट घरानों को ऋण

†3516. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2014 से 2025-26 तक किसानों को दिए गए ऋणों तथा उसी अवधि के दौरान वसूल की गई राशि का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कृषि ऋण माफी का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2014 से 2025-26 तक कॉर्पोरेट घरानों को दिए गए ऋणों तथा उसी अवधि के दौरान वसूल की गई राशि का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कॉर्पोरेट ऋण माफी या बट्टे खाते में डाले गए ऋणों का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार किसानों और कॉर्पोरेट घरानों की ऋण माफी के अनुपात को न्यायसंगत मानती है और यदि हाँ, तो इसका औचित्य क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा ऋण राहत उपायों में संतुलित और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): वर्ष 2013-2014 से 2025-26 तक संवितरित कृषि ऋण का वर्ष-वार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। तथापि, उस पर वसूल की गई राशि संबंधी ब्यौरे का रखरखाव केन्द्रीय स्तर पर नहीं किया जाता है। इसके अलावा, केन्द्र सरकार ने उक्त अवधि के दौरान कोई कृषि ऋण माफी नहीं दी है।

(ग): वर्ष 2014 से 2025-26 तक कॉर्पोरेट घरानों को दिए गए ऋणों का वर्ष-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है। तथापि, दिए गए ऋण और उन पर वसूल की गई राशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे का रखरखाव केन्द्रीय स्तर पर नहीं किया जाता है।

(घ): भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कॉर्पोरेट घरानों के माफ किए गए अथवा बट्टे खाते डाले गए कुल ऋणों के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)-वार ब्यौरे का रखरखाव उसके द्वारा नहीं किया जाता है। तथापि, 31.03.2015 से 31.03.2026 तक बड़ी श्रेणियों (उद्योग और सेवाओं) के लिए घरेलू परिचालन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों और लघु वित्त बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाले गए ऋणों का वर्ष-वार और श्रेणी-वार विवरण अनुबंध-III में दिया गया है।

(ङ): ऋण को बट्टे खाते में डालना एक लेखांकन प्रक्रिया है और इससे देनदार (चाहे वह किसान हो या कॉर्पोरेट) को कोई राहत नहीं मिलती है। वाणिज्यिक बैंकों के लिए जारी किए गए भारतीय रिजर्व बैंक - तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान संबंधी निदेश 2025 के अनुसार, बट्टे खाते में डालना (जिसका एक बड़ा हिस्सा तकनीकी/विवेकपूर्ण/संग्रह के

तहत अग्रिमों के कारण है) बैंक द्वारा अपनी बैलेंस शीट को समायोजित करने के लिए की जाने वाली एक लेखांकन प्रक्रिया है। इस तरह के बट्टे खाते डालने से उधारकर्ताओं की देनदारियों को माफ नहीं किया जाता है और इसलिए, इससे उधारकर्ता को कोई लाभ नहीं होता है। उधारकर्ता पुनर्भुगतान के लिए उत्तरदायी बने हुए हैं और बैंक इन खातों में शुरू की गई वसूली कार्रवाइयों को जारी रखते हैं।

(च): संकट में उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 नवंबर 2025 को तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान संबंधी मास्टर निदेश, 2025 (01 जुलाई 2026 तक अद्यतन) जारी किया है, जो अन्य *बातों के साथ-साथ,* ऋणदाताओं को उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों और विनियामक दिशानिर्देशों के आधार पर तनाव में उधारकर्ताओं के वित्तीय पुनर्गठन करने का विवेक प्रदान करता है।

अनुबंध- I

"किसानों और कॉर्पोरेट घरानों को ऋण" के संबंध में दिनांक 10.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3516 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वित्त वर्ष 2013-14 से 2025-26 तक राज्यवार कृषि ऋण वितरण (करोड़ रुपये में)														
क्र.सं.	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
1	दिल्ली	10,351	15,264	5,550	19,942	19,528	24,331	21,633	14,241	18,148	19,350	24,157	29,317	25,236
2	हरियाणा	35,752	40,438	49,790	49,481	55,381	63,349	64,295	60,655	67,071	81,805	89,396	99,222	97,836
3	हिमाचल प्रदेश	4,554	4,964	5,122	6,116	14,338	6,870	7,771	7,476	8,525	11,003	11,628	14,426	15,552
4	जम्मू और कश्मीर	2,333	766	2,761	7,297	11,304	13,118	13,402	14,753	14,283	13,152	12,624	17,841	12,044
5	पंजाब	58,474	72,963	84,653	74,301	73,169	77,456	80,448	69,170	74,437	90,798	95,687	1,00,544	1,01,313
6	राजस्थान	54,777	65,743	67,627	74,304	80,914	83,081	95,051	1,01,496	1,19,157	1,41,612	1,53,593	1,68,545	1,68,585
7	चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश	1,572	2,340	1,415	1,406	2,357	1,992	1,346	1,161	1,229	1,635	1,938	2,287	2,907
8	लद्दाख	-	-	-	-	-	-	-	947	341	334	352	420	421
9	अरुणाचल प्रदेश	54	50	43	133	82	56	111	86	138	637	950	319	363
10	असम	2,694	2,751	3,905	6,102	6,755	7,246	7,713	11,457	9,313	9,062	11,564	14,514	13,304
11	मणिपुर	112	153	159	251	255	248	312	301	398	645	649	842	1,091
12	मेघालय	247	196	156	368	351	199	205	251	273	404	478	554	590
13	मिजोरम	70	70	99	114	175	363	166	330	301	309	427	600	759
14	नागालैंड	109	135	118	129	205	209	278	239	281	340	412	553	547
15	सिक्किम	81	75	72	162	125	160	174	187	220	340	405	320	293
16	त्रिपुरा	979	1,023	1,281	1,513	2,326	2,691	2,850	3,651	3,159	1,670	2,175	2,971	2,942
17	एक प्रायद्वीप	99	66	112	135	120	130	149	206	310	402	437	476	643
18	बिहार	20,178	22,864	40,542	26,185	29,213	35,828	40,834	46,981	87,089	52,994	70,321	66,492	66,498
19	झारखंड	1,960	2,518	3,662	4,380	3,779	4,092	5,437	7,016	9,800	12,171	22,109	16,553	13,835
20	ओडिशा	15,023	17,271	20,283	21,265	22,771	27,416	30,398	34,147	41,978	47,749	60,365	80,673	65,035
21	पश्चिम बंगाल	18,957	37,294	39,075	34,896	40,868	46,326	54,849	62,657	62,549	60,369	74,343	89,070	85,968
22	छत्तीसगढ	6,556	7,872	7,674	12,237	15,134	10,391	15,125	18,728	19,324	29,266	33,838	37,154	30,693
23	मध्य प्रदेश	38,632	47,049	52,104	56,149	60,037	61,474	62,497	80,110	88,292	1,00,076	1,16,397	1,33,121	1,28,491
24	उत्तराखंड	6,464	5,586	5,869	6,505	7,876	10,336	10,505	9,648	9,383	11,244	12,674	15,779	13,526
25	उत्तर प्रदेश	59,277	72,611	87,642	81,584	84,048	89,060	1,08,888	1,14,623	1,22,169	1,51,452	1,71,390	1,96,225	1,97,627
26	गोवा	607	777	567	1,011	1,238	1,320	993	1,374	1,474	1,905	2,429	14,492	1,743
27	गुजरात	33,622	39,327	44,563	54,277	62,558	66,111	73,229	84,934	1,03,118	1,20,529	1,41,161	1,63,965	1,44,479
28	महाराष्ट्र	61,138	66,821	62,777	81,384	72,479	83,570	81,850	98,140	1,22,193	1,50,532	1,68,547	2,01,867	1,91,691
29	दादरा एवं नागर हवेली और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	54	56	27	115	99	115	135	703	233	342	393	383	547
30	आंध्र प्रदेश	83,586	53,936	74,136	92,869	1,12,355	1,22,782	1,36,778	1,74,974	2,06,160	2,39,188	3,00,497	3,29,731	3,89,240
31	तेलंगाना	7,950	30,517	33,326	67,885	58,831	57,543	63,383	71,665	88,583	1,09,798	1,39,703	1,64,908	1,60,501
32	कर्नाटक	51,879	60,233	84,832	78,083	79,144	73,419	88,380	1,11,844	1,39,403	1,72,470	2,07,615	2,31,295	2,53,141
33	केरल	50,799	57,209	43,392	67,739	84,176	92,457	97,420	1,02,109	1,14,158	1,40,236	1,60,468	1,77,510	1,99,264
34	पुदुचेरी	1,278	15,930	1,082	5,290	2,606	2,866	3,373	4,835	4,385	5,574	7,066	8,183	11,117
35	तमिलनाडु	99,906	1,00,226	91,094	1,32,145	1,58,014	1,90,222	2,22,748	2,64,169	3,25,472	3,75,747	4,52,384	4,83,678	6,04,819
36	लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	1	233	-	3	5	3	5	133	14	23	62	40	69

स्रोत: नाबार्ड

अनुबंध- II

"किसानों और कॉर्पोरेट घरानों को ऋण" के संबंध में दिनांक 10.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3516 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

बड़े - उद्योग और सेवाएँ - बकाया अग्रिम (राशि, करोड़ रुपये में)												
बैंक समूह	**31-03-2015**	**31-03-2016**	**31-03-2017**	**31-03-2018**	**31-03-2019**	**31-03-2020**	**31-03-2021**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2024**	**31-03-2025**	**31-03-2026**
विदेशी बैंक	2,16,172	2,48,441	2,23,416	2,36,406	2,60,896	2,83,546	2,72,333	3,07,231	3,46,386	3,73,071	4,46,996	5,02,233
निजी क्षेत्र के बैंक	5,90,982	7,24,947	8,40,843	10,62,389	12,44,312	12,75,017	13,58,236	14,29,248	16,71,197	18,97,918	20,33,540	21,92,419
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	22,57,516	23,20,226	22,60,962	22,25,872	24,10,130	24,68,904	22,45,803	25,10,712	30,12,506	34,83,511	38,06,135	41,78,046
लघु वित्त बैंक			-	21	536	2,277	1,808	4,509	22,513	21,765	32,385	49,037
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	**30,64,670**	**32,93,614**	**33,25,222**	**35,24,688**	**39,15,874**	**40,29,744**	**38,78,180**	**42,51,701**	**50,52,602**	**57,76,264**	**63,19,057**	**69,21,734**

***स्रोत*: *आरबीआई*(मार्च 2026 का डेटा अनंतिम है)**

अनुबंध- III

"किसानों और कॉर्पोरेट घरानों को ऋण" के संबंध में दिनांक 10.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3516 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

बड़े - उद्योग और सेवाएँ - राइट-ऑफ़ (राशि, करोड़ रुपये में)												
बैंक समूह	**31-03-2015**	**31-03-2016**	**31-03-2017**	**31-03-2018**	**31-03-2019**	**31-03-2020**	**31-03-2021**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2024**	**31-03-2025**	**31-03-2026**
विदेशी बैंक	2,010	363	4,447	1,227	3,023	3,750	1,948	1,613	1,138	1,337	873	656
निजी क्षेत्र के बैंक	3,111	7,458	15,682	17,830	24,995	22,208	34,458	10,371	41,194	5,445	6,822	4,345
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	26,602	32,595	48,179	80,075	1,20,735	1,33,179	90,641	57,541	72,108	58,359	39,675	15,213
लघु वित्त बैंक			-	-	-	2	3	8	88	3,226	198	271
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	**31,723**	**40,416**	**68,308**	**99,132**	**1,48,753**	**1,59,139**	**1,27,050**	**69,532**	**1,14,528**	**68,366**	**47,568**	**20,485**

***स्रोत*: *आरबीआई* (मार्च 2026 का डेटा अनंतिम है)**
